कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।

E-mail - drdasah@gmail.com, ddc-sah@nic.in & pmaygsbg@gmail.com

पत्रांक 1742(अ3) जि0ग्रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
साहेबगंज।

सेवा में,

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,
साहेबगंज।

साहेबगंज, दिनांकः– 21.10.2022

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत PMU में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत PMU में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवश्यक सूचना का प्रकाशन किया जाना है।

अतः आवश्यक सूचना का सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी तीन प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे झारखंड राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में ससमय प्रकाशन करना सुनिश्चित करेगें।

अनु0ः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उ पा यु क्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक– 1742/जि0ग्रा0, साहेबगंज दिनांकः– 21.10.2022

प्रतिलिपि– निदेशक, जन संपर्क विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवश्यक सूचना जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

उ पा यु क्त,
साहेबगंज।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।

E-mail - drdasah@gmail.com, ddc-sah@nic.in & pmaygsbg@gmail.com

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर PMU सेल में नियुक्ति संबंधी सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, सरकार राँची के अधिसूचना सं0–1016(अनु0)/ग्रा0वि0, दिनांक–01.03.2017 एवं पत्रांक–1193/ग्रा0वि0, दिनांक–09.03.2017 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत साहेबगंज जिला में गठित Project Monitoring unit (PMU) के प्रखंड स्तर पर रिक्त पदो के विरूद्व नियुक्ति के उपरांत शेष रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इस हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से Online विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी कोटिवार पदवार रिक्तियों की संख्या एवं अहर्त्ता निम्नवत है:–

क्र0सं0	पद का नाम	कोटिवार रिक्त पदो की सं0		उम्र	शैक्षणिक योग्यता
		सामान्य	अ0ज0जा0		
1	2	3	4	5	6
1	**प्रखंड समन्वयक** (मासिक मानदेय) रू0 18,000/–	–	01	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	**लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर** (मासिक मानदेय) रू0 10,000/–	–	04	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य

उक्त पदों के लिए दिनांक–29.10.22 से 19.11.22 तक आवेदकों द्वारा Online विभागीय पोर्टल **http://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर आवेदन कर सकते है, जहां नियुक्ति संबंधी दिशा–निर्देश एवं सूचना उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,

उ पा यु क्त,
साहेबगंज।

D:\MK\Letter -21\M\Office Letter.docx -161

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।

E-mail - drdasah@gmail.com, ddc-sah@nic.in & pmaygsbg@gmail.com

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर PMU सेल में नियुक्ति संबंधी सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, सरकार राँची के अधिसूचना सं0–1016(अनु0)/ग्रा0वि0, दिनांक–01.03.2017 एवं पत्रांक–1193/ग्रा0वि0, दिनांक–09.03.2017 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत साहेबगंज जिला में गठित Project Monitoring unit (PMU) के प्रखंड स्तर पर रिक्त पदो के विरूद्व नियुक्ति के उपरांत शेष रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इस हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से Online विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी कोटिवार पदवार रिक्तियों की संख्या एवं अहर्त्ता निम्नवत है:–

क्र0सं0	पद का नाम	कोटिवार रिक्त पदो की सं0		उम्र	शैक्षणिक योग्यता
		सामान्य	अ0ज0जा0		
1	2	3	4	5	6
1	प्रखंड समन्वयक (मासिक मानदेय) रू0 18,000/–	—	01	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय) रू0 10,000/–	—	04	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य

नियुक्ति की प्रक्रिया व शर्तें :–

1. सभी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार संबंधित रिक्त पदों पर Online विभागीय पोर्टल **http://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर दिनांक 29.10.22 से 19.11.22 तक आवेदन कर सकते है।

2. आवेदक एक से अधिक पदो के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग Online आवेदन समर्पित करना होगा। आवेदन कर सकते है इस हेतु विभागीय ज्ञापांक–4894 / ग्रा0वि, दिनांक–03.12.2018 के अनुसार किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3. उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.08.2021 के आधार पर की जाएगी।

4. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752, दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6. उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10 वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से ही उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

   परन्तु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10 वीं0 कक्षा तथा इंटरीमडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

7. जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो उन अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विश्व विद्यालय / संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. आवेदन पत्र के साथ सभी संबंधित वांछनीय शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. उम्र की गणना हेतु मैट्रिक का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रांरभिक मेधा सूची अनिवार्य / वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहां आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

11. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर परीक्षा में उत्त्तीर्णता के स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

12. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंको में से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जाएँगे।

13. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदो में एक साल के अंदर होने वाले रिक्त पद इसी से भरे जाएँगे।

14. दो या दो अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची मे टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

15. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जाएगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

16. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णताः रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा और इसके विरूद्व किसी भी न्यायालय मे वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

18. अहर्त्ता के अनुरूप आवेदक से Online आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा Online भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रदद् समझा जाएगा।

उ पा यु क्त,
साहेबगंज।